

3

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क क नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक  
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15-अ ]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 25 जनवरी 2010—माघ 5, शक 1931

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-22/2009/नौ/55.— औषधि और चर्मकारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 (1954 का सं. 21) की धारा 8 की उपधारा (1) सहपठित औषधि एवं चर्मकारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) नियम, 1955 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अनुज्ञापन अधिकारी, औषधि निरीक्षक (संचालनालय में पदस्थ) तथा औषधि निरीक्षक (जिले में पदस्थ) को अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र हेतु उक्त अधिनियम, 1954 (1954 का सं. 21) की धारा 8 की उपधारा (1) तथा उक्त नियम, 1955 के नियम 3 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु नियुक्त करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विकास शील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2010

क्रमांक एफ 2-22/2009/नौ/55.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विकास शील, सचिव

Raipur, the 25th January 2010

## NOTIFICATION

No. F 2-22/2009/IX/55.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954 (No. 21 of 1954) read with rule 3 of the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Rules, 1955 the State Government, hereby, appoints Licensing Authority, Drug Inspectors (Posted at Directorate) and Drug Inspectors (Posted at District) for their respective jurisdiction, to carry out the purposes of sub-section (1) of section 8 of said Act, 1954 (No. 21 of 1954) and Rule 3 of said rules, 1955.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
VIKAS SHEEL, Secretary.